न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही ज्ञानपुर

UPSN010005242026

ANTICIPATORY BAIL APPLICATION NO.-159/2026

मनमोहन सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र श्री समरबहादुर सिहं, निवासी गोयल गली, थाना ज्ञानपुर, जिला भदोही।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष

मु०अ०सं०–200/2021,
धारा–419, 420, 120 बी. भा.द.सं.
थाना–ज्ञानपुर, जनपद–भदोही

<u>आदेश</u>

1. आवेदक/अभियुक्त मनमोहन सिंह पुत्र श्री समरबहादुर की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–200/2021, धारा–419, 420, 120 बी. भा.द.सं., थाना–ज्ञानपुर, जनपद–भदोही के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा सम्बन्धित थाने की आख्या व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह ने दिनांक 15.12.2021 को थाना ज्ञानपुर पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि वह निवासी निकुम्भनपुर चतुर्भुजपुर परियत थाना बरसठी जनपद जौनपुर का प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की नियत से विपक्षी मनमोहन सिंह पुत्र समरबहादुर सिंह प्रोपराईटर्स जय बजरंग ट्रेडर्स गोयल गली थाना ज्ञानपुर जिला भदोही साजिश व षड़यन्त्र के तहत झूठे तथ्यों के साथ बेबुनियाद आरोप लगाकर उसके विरुद्ध मु.अ.सं.–11/2020 धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. थाना ज्ञानपुर में पंजीकृत कराकर उसका आर्थिक, सामाजिक उत्पीड़न किया। जानकारी होने पर उसने माननीय उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक सम्बन्धी आदेश प्राप्त किया। विपक्षी मनमोहन सिंह, ने आरोप लगाते हुये कहा है कि

उसने विपक्षी का आई.डी. पासवर्ड चुराकर उसका गलत इस्तेमाल किया है। जबकि वादी का यह कथन है कि विपक्षी अपने रजिस्ट्रर्ड मोबाईल जो जी.एस.टी. में पंजीकृत है, उस रजिस्टर्ड मोबाईल से अभियुक्त ने दिनांक 29.11.2019, 02.12.2019 व 03.12.2019 को 17 बार अपने रजिस्टर्ड मोबाईल स्वयं ओ.टी.पी. प्राप्त किया है। विपक्षी जी.एस.टी. आर. 2–ए के कॉलम में नाम स्पष्ट रुप से दिखायी पड़ रहा है। जो रिटर्न फाईल करता है। वहीं व्यक्ति रिटर्न फाईल कर सकता है, दूसरा व्यक्ति जी.एस.टी. 2–ए में किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार नही है। जब अभियुक्त के यहां जी.एस.टी. की रेड पड़ती है, जो उसने अपने को बचाने के लिये कि जी.एस.टी. रिटर्न ना देना पड़े, टैक्स का रुपये हड़पने की नियत से जाली फर्जी कार्यवाही करते हुये टैक्स का रुपया बचाने हेतु वादी के विरुद्ध साजिशी कार्यवाही करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.01.2020 को कायम करवाया गया। विपक्षी के यहां जी.एस.टी. का रेड़ पड़ने से पूर्व उसकी तरफ से वादी मुकदमा के विरुद्ध कभी कोई शिकायत कहीं नही की गयी। अभियुक्त स्वयं ओ.टी.पी. स्वीकार करता है और स्वयं रिटर्न फाईल करता है। उसके विरुद्ध जाली, फर्जी कूटरचित व मिथ्या साक्ष्य तैयार करने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना ज्ञानपुर को दिये जाने का निवेदन किया। वादी मुकदमा के उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त मनमोहन सिंह को नामित करते हुये मु.अ.सं.–200 सन्–2021, धारा–419, 420, 467, 468 भा.द.सं. के अन्तर्गत अभियोजन पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से आधार अग्रिम जमानत एवं तर्क में कहा गया है कि वह बेगुनाह है, कोई अपराध कारित नही किया है, वादी मुकदमा ने उसके द्वारा किये गये मुकदमें से बचने के लिये उसके विरुद्ध फर्जी ढंग से उपरोक्त क्रॉस केस बनाने का प्रयास किया है। आवेदक द्वारा चार्जशीट आने के बाद यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में दाखिल कर रहा है, इसके अलावा कोई दूसरी जमानत किसी भी न्यायालय में अथवा उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथाकथित घटना का समय 29.11.2019 से दिनांक 03.12.2019 तक अंकित किया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.12.2021 को समय अज्ञात बजे दर्ज कराया गया है, जो लगभग 2 वर्ष 2 माह विलम्ब से दर्ज कराया गया है, इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी मुकदमा एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्ति है, वह मूल रूप से जौनपुर का

निवासी है, वर्तमान समय में मुम्बई में रहकर बड़े–बड़े घोटाले व भ्रष्टाचार में लिप्त है। यह कोतवाली ज्ञानपुर में प्रार्थनापत्र ना देकर सीधे पुलिस अधीक्षक महोदय, भदोही के पास प्रार्थनापत्र दिया है तथा दबाव बनाकर यह तथाकथित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया है, जिसकी कोई असलियत नहीं हैं। वादी मुकदमा ने अपने तथाकथित प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक द्वारा वादी मुकदमा के ऊपर दर्ज करायें गये। मुकदमा अपराध संख्या–11 सन्–2020 धारा–419, 420, 467, 468, 471 आई.पी.सी., थाना ज्ञानपुर का भी जिक्र किया है तथा यह आरोप लगाया है कि आवेदक से रूपया ऐंठने के नियत से उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया है। जबकि असलियत यह है कि वादी अशोक कुमार सिंह जो अपने को बड़ा उद्योगपति कहता था, वह आवेदक के मामा का परिचित था, जिसकी वजह से आवेदक से भी परिचित हो गया था, लगभग 3 वर्ष पूर्व अशोक कुमार सिंह आवेदक के फर्म ज्ञानपुर आकर, आवेदक से कहा कि उसकी बहुत बड़ी फर्म है, जहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते है, जो जी.एस.टी. भरने तथा अन्य लेखा जोखा का कार्य करते है, आपके फर्म का भी जी.एस.टी. भरने व अन्य लेखा जोखा का कार्य करा दिया करेंगे तथा आपका रिटर्न भी भरते रहेंगे, बस आप अपना जी.एस.टी. नम्बर, आई.डी. व पासवर्ड दे दीजिये। आवेदक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, अशोक कुमार के विश्वास में आकर आवेदक ने अपना जी.एस.टी. नम्बर आई.डी. व पासवर्ड दे दिया। दिनांक 14.01.2020 को संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर/राज्य कर मीरजापुर मण्डल आवेदक के घर आये और आवेदक को नोटिस दिया कि आवेदक के जी.एस.टी. नम्बर पर शीला सेल्स कारपोरेशन के प्रोपराईटर अशोक कुमार सिंह ने दिसम्बर 2019 तक करीब 200 करोड़ रूपये का स्टील वर्क तथा अन्य व्यापार किया है, तब आवेदक को वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह द्वारा जो व्यापार किया गया, उसकी जानकारी हुई। आवेदक से कोई सहमति नही ली गयी थी, ना ही आवेदक के खाते सें कोई धनराशि ही प्राप्त हुई थी। अशोक कुमार सिंह ने टैक्स की रकम हड़पने के लिये आवेदक के साथ धोखाधडी किया था, जिसकी जानकारी होने पर आवेदक ने वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–11/2020, धारा–419, 420, 467, 468, 471 आई.पी.सी., थाना ज्ञानपुर में दर्ज कराया था, जिसमें विवेचना के उपरान्त वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह व उनकी पत्नी शीला सिंह के विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है, पुलिस की विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह उपरोक्त प्रकरण का मुख्य अभियुक्त है तथा आवेदक निर्दोष है, केवल आवेदक के ऊपर सुलह के लिये दबाव बनाने के लिये वादी मुकदमा ने फर्जी ढंग से

उपरोक्त मुकदमा दर्ज कराया है। आवेदक द्वारा दर्ज कराये गये, मुकदमे की जाँच ई.डी. द्वारा भी की गयी है, जिसमें वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह द्वारा टैक्स चोरी करने की बात प्रकाश में आयी थी, जिस पर कार्यवाही करते हुये ईडी ने वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह की 1.37 करोड़ की सम्पत्ति जब्त करा लिया है। आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रकरण को प्रकाश में लाये जाने पर जी.एस.टी. कमिश्नर मुम्बई द्वारा भी वादी मुकदमा के फर्म शीला सेल्स कारपोरेशन की जाँच की गयी थी, जिसमें वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह द्वारा टैक्स चोरी करने की पुष्टि हुई थी और वादी मुकदमा को जेल भेजा गया था। इसी प्रकार वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह के विरूद्ध धोखाधड़ी व फर्जी ढंग से धन हड़पने के कई मुकदमें दर्ज है, यह कई बार जेल भी जा चुका है, उसके विरूद्ध सिविल कोर्ट ज्ञानपुर में भी मुकदमें दर्ज है, जिसमे यह तलब है। वादी द्वारा फर्जी ढंग से दर्ज कराये गये उपरोक्त मुकदमें में विवेचना के बाद पहली बार फाईनल रिपोर्ट संख्या 32/2022 दिनांक 30.06.2022 को माननीय न्यायालय में प्रेषित की गयी है, दोबारा राजनीतिक दबाव बनाकर पुनः विवेचना के लिये प्रेषित किया गया, विवेचना के बाद दूसरी बार फाइनल रिपोर्ट संख्या–32ए/2022 दिनांक 12.10.2022 को माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है। दोनों विवेचना में हम आवेदक द्वारा कोई अपराध कारित किया जाना नहीं पाया गया तथाकथित घटना झूठी पायी गयी, परन्तु तीसरी बार राजनीतिक दबाव में पुलिस अधीक्षक महोदय, भदोही द्वारा इस निर्देश के साथ पुनः विवेचना का आदेश दिया गया कि अब फाइनल रिपोर्ट नही चार्जशीट प्रेषित करना है। तीसरी बार पुलिस अधीक्षक के दबाव में आवेदक के विरूद्ध विधि विरुद्ध ढंग से आरोप पत्र संख्या 165/2022 दिनांक 08.11.2022 को धारा–419, 420, 120 आई.पी.सी. के तहत प्रेषित किया गया है, जो सरासर झूठा व गलत है, जिसकी कोई असलियत नही है। जब दो–दो बार विवेचना में आवेदक के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला तो तीसरी बार उसी साक्ष्य के आधार पर अपराध कैसे साबित हो जायेगा। पुलिस द्वारा तीसरी बार चार्जशीट प्रेषित करते समय धारा–467 व 468 आई.पी.सी. निकाल दी गयी तथा एक नई धारा–120(बी) की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। जब कि पूरे पत्रावली में आवेदक द्वारा किसी प्रकार का षड़यन्त्र किये जाने का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। पुलिस की विवेचना से यह साबित हो चुका है कि आवेदक निर्दोष है और वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह दोषी है। अभियोजन कथानक सरीही गलत बनावटी व झूठा है, जबकि असलियत यह है कि आवेदक द्वारा कोई घटना कारित नही की गयी है, मुकदमें की रंजिश को लेकर आवेदक के विरूद्ध फर्जी ढंग से क्रॉस केस बनाकर फंसाया जा रहा है। विवेचक द्वारा बिना

आवेदक को गिरफ्तार किये, उपरोक्त मुकदमें में चार्जशीट प्रेषित की गयी है। जुर्म दफायें अधिकतम–7 वर्ष तक के लिये दण्डनीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा श्रीमती बच्ची देवी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स (U/S 528 BNSS No. 6400 of 2025) में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि यदि विवेचना के दौरान बिना गिरफ्तारी किये चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गयी है तो अभियुक्त के हाजिर होने पर अभियुक्त का रिमाण्ड नहीं लिया जायेगा, आवेदक से जमानत मुचलिका लेकर रिहा कर दिया जायेगा। आवेदक सम्भ्रान्त परिवार का सदस्य है, आवेदक को किसी न्यायालय से दण्डित नहीं किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा काफी विलम्ब से एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है, जिसमें कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। उपरोक्त मुकदमें में आवेदक के विरूद्ध एन.बी.डब्लू. का आदेश पारित हो गया है, आवेदक की गिरफ्तारी की सम्भावना बनी हुई है। आवेदक को भय है कि थाना भदोही की पुलिस फर्जी ढंग से गिरफ्तार कर हैरान व परेशान करेगी, इसलिये अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल कर रहा है। आवेदक जनपद भदोही का मूल निवासी है, अग्रिम जमानत पर छूटने पर फरार होने की कोई सम्भावना नही है, ना ही आवेदक अग्रिम जमानत का दुरूपयोग करेगा। आवेदक अपनी उचित जमानत व मुचलका देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आवेदक को उचित जमानत व मुचलिके पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदक को उचित अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा साजिश व षडयंत्र के तहत जाली फर्जी व कूटरचित अभिलेख तैयार कराकर वादी मुकदमा के साथ छल करके गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोप–पत्र बिना अभियुक्त को गिरफ्तार किए दिनांक 02.01.2023 को न्यायालय में अन्तर्गत धारा–419, 420, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता प्रस्तुत किया गया है, जिसका अपराध संख्या–200 सन् 2021 थाना ज्ञानपुर है। आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इसी अपराध में दिनांक 21.01.2022 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत अन्तर्गत धारा–438 दं०प्र०सं० संख्या–1321 सन् 2022, माननीय उच्च

न्यायालय में दाखिल की गयी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2022 को निरस्त करते हुए आदेश में यह अंकना की गयी है कि," it is evident that there are allegations against the applicant. The matter is of embezzlement of amount of G.S.T in the tune of Rs. 200 crore. Looking to the facts and circumstances of the case and particularly that the matter relates to the economic offence, I do not find it a fit case for interference. आवेदक/अभियुक्त मनमोहन सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थनापत्र संख्या–18475 सन् 2023 अन्तर्गत धारा–482 दण्ड प्रक्रिया संहिता संस्थित किया गया, जिसमें आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अपराध संख्या–200 सन् 2021 अन्तर्गत धारा–419, 420, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में उसे तलब किए जाने के आदेश को अपास्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2023 को आवेदक/अभियुक्त के प्रार्थनापत्र को निरस्त किया गया तथा आवेदक/अभियुक्त को यह आदेशित किया गया कि ," it is evident that there are number of factual controversies involved in the matter, which could be well appreciated only by the trial court. Since the applicant is not bailed out as yet, he shall appear before the trial court concerned within 15 days from today and move an application u/s 88 Cr.P.C. The trial court, after ensuring the presence of the applicant, shall release him with or without sureties. Said application shall be decided within 15 days thereafter. Thereafter, the applicant shall move an application seeking discharge u/s 227/239 Cr.P.C., which would be heard and decided by the concerned court within six weeks from its filing by a well reasoned order after hearing learned counsel for the State. Till the disposal of said discharge application moved on behalf of applicant, he shall not be arrested in aforesaid case crime. It is made clear that in the event the 'Discharge Application' is decided against the applicant, then it would be incumbent upon the applicant that he would surrender before the trial court concerned and file a bail application.

7. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण का विचारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही

ज्ञानपुर के न्यायालय में चल रहा है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया।

8. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त मनमोहन सिंह की ओर से मु०अ०सं०–200/2021 के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मनमोहन सिंह की ओर से मु०अ०सं०–200/2021, अंतर्गत धारा–419, 420, 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता थाना–ज्ञानपुर, जनपद–भदोही के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–25.03.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.03.25 17:20:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court